राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी
सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर

कमांकःएफ13()आर.एम.आर.एस./समाचि/2018/511 दिनांक 14/11/18

शिकायत निवारण अधिकारी,
स.मा.चि, जयपुर।

विषयः—राजस्थान सम्पर्क द्वारा प्राप्त शिकायत कमांक 10183614597967 के सम्बन्ध में तत्थ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।
प्रसंगः—आपका पत्र कमांक 11718 दिनांक 03.11.2018 के कम में

विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के कम में चाही गई सूचना संलग्न प्रेषित की जा रही हैं।
संलग्नः—उपरोक्तानुसार

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

भारत के नियंत्रक, महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016–17 के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) राजस्थान में सम्मिलित किये अनुच्छेद संख्या 3.4 "फर्मों को अदेय लाभ" के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण

क्र. सं.	विवरण आक्षेप	अनुपालनात्मक टिप्पणी
1.	Undue benefit firms and loss of Revenue to Rajasthan Medicare Relief Socity RMRS due to waiver of lease money and loss of Interest there on Rs.1.02 Crore	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में चरक भवन परिसर स्थित दुकान संख्या 01 को खुली निविदा के माध्यम से आर.एम.आर.एस समाधि जयपुर के द्वारा दिनांक 25.04.2008 को निष्पादित अनुबंध के आधार पर मैसर्स बापजी मेडिकोज जयपुर को 7 वर्ष की लीज पर मेडिकल स्टोर के उद्देश्य से दिया गया था तथा जिसकी प्रारम्भिक वर्ष की लीज राशि रूपये 24,96,000/–तय की गई थी तथा लीज राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय की गई थी। संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये अपने अभ्यावेदनो में यह अंकित किया गया कि दिनांक 02.10.2011 से राज्य मे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारम्भ होने के कारण तथा योजना में निःशुल्क दवा दी जाने के कारण इसका सीधा प्रभाव फर्म द्वारा अस्पताल परिसर में संचालित दुकान की दवा बिक्री पर पडने से फर्म के राजस्व में 65 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई, जिसके प्रमाण स्वरूप सी.ए. का प्रमाणीकरण एवं बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न किये गये। फर्म का कहना है कि दवाओं की बिक्री में आई गिरावट के आधार पर उनके स्तर से आर.एम.आर.एस को तत्समय ही निवेदन किया गया था कि इस आधार पर अनुपातिक रूप से लीज राशि में छूट प्रदान की जावें, ताकि दुकान का संचालन आगे किया जा सके। साथ ही फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि बार–बार निवेदन पर निर्णय न हो पाने के कारण तथा दवाओं की बिक्री में लगातार हो रही गिरावट के कारण अनुबंध में निर्धारित शर्तों के अनुसार लीज राशि को जमा कराया जाना संभव नहीं पा रहा था, इसी कारण अंततोगत्वा संबंधित फर्म मैसर्स बापजी मेडिकोज जयपुर ने उक्त दुकान संख्या 01 (चरक भवन) को खाली कर कब्जा सदस्य सचिव आर.एम.आर.एस को जरिये चिकित्सालय अधीक्षक दिनांक 31.03.2014 को संभलवा दिया। संबंधित फर्म के अभ्यावेदन पर विचार कर निर्णय लिये जाने हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ 13 ( )/दुकाने/समाधि/2014–15/205 दिनांक 28.05.2014 एवं आदेश संख्या 245 दिनांक 04.07.2014 के द्वारा समिति का गठन किया गया। समिति की अनुशंषा के आधार पर एवं उपरोक्त परिस्थितियों तथा नीतिगत परिवर्तन (मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रारम्भ होना जो पूर्वानुमानित नहीं था) के परिप्रेक्ष्य में मैसर्स बापजी मेडिकोज, जयपुर द्वारा अनुबंध अवधि से पूर्व (31.03.2014) को ही दुकान संचालन को बंद (For Closure) कर उसका कब्जा संभलवाने को स्वीकार किया गया। वर्ष 2011–12 (विशेषतः 02.10.2011 से 25.04.2012 की अवधि) के पेटे अग्रिम जमा कराई गई राशि में किसी प्रकार की छूट देय नहीं, किन्तु साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना (राज्य सरकार का नीतिगत परिवर्तन, जो पूर्वानुमानित नही था) के प्रारम्भ होने के कारण संबंधित फर्म के राजस्व में आई गिरावट के कारण वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की अवधि की लीज राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई, तदानुसार फर्म मैसर्स बापजी मेडिकोज जयपुर को बकाया राशि जमा कराने एवं आदेश की पालना हेतु निर्देशित किया गया।

12-11-2018

सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में चरक भवन स्थित दुकान संख्या 02 को खुली निविदा के माध्यम से राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के साथ दिनांक 25.04.2008 को निष्पादित अनुबंध के आधार पर मैसर्स गायत्री मेडिकोज जयपुर को 7 वर्ष की लीज पर मेडिकल स्टोर के उद्देश्य से दिया गया था, जिसकी प्रारम्भिक वर्ष की लीज राशि रूपये 24,96,000/– तय की गई थी तथा लीज राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय की गई थी। उपरोक्तानुसार संबंधित फर्म द्वारा वर्ष 2008 –2009, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के लिये नियमानुसार लीज राशि आर.एम.आर.एस. में जमा करा दी गई थी।

संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये अपने अभ्यावेदन में यह अंकित किया गया कि दिनांक 02.10.2011 से राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ होने के कारण दवायें निःशुल्क दी जाने लगी, इसका सीधा प्रभाव संबंधित फर्म द्वारा अस्पताल परिसर में संचालित दुकान की दवा की बिक्री पर पड़ा, जिसके कारण फर्म के राजस्व में 70 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई जिसके प्रमाण स्वरूप सी.ए. का प्रमाणीकरण एवं बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न किये गये। फर्म का कहना था कि दवाओं की बिक्री में आई गिरावट के आधार पर अनुपातिक रूप से लीज राशि में छूट प्रदान की जावे, ताकि दुकान का संचालन आगे किया जा सके।

साथ ही फर्म ने अवगत कराया कि उनके द्वारा बार–बार किये गये निवदेन पर निर्णय न होने के कारण तथा दवाओं की बिक्री में लगातार हो रही गिरावट के कारण अनुबंध में निर्धारित शर्तो के अनुसार लीज राशि को समय पर जमा कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसी कारण अंततोगत्वा संबन्धित फर्म मै. गायत्री मेडिकोज ने उक्त दुकान नं. 2 (चरक भवन) को खाली कर इसका विधिवत कब्जा सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस को जरिये चिकित्सालय अवधाता को दिनांक 28.02.2014 को संभलवा दिया गया, जिसकी कि सुरक्षा गार्डो ने दिनांक 01.06.2012 को जब इस दुकान की सुरक्षा संभाली तभी से उक्त दुकान में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो रही थी तथा साथ ही औषधि अनुज्ञापन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियत्रंक जयपुर के आदेश क्रमांक डीएलए/निरस्त/2012/1590 दिनांक 27.08.2012 के द्वारा उक्त दुकान का ड्रग लाइसेंस दिनांक 30.04.2012 से ही निरस्त कर दिया गया ।

संबंधित फर्म के अभ्यावेदन पर विचार कर निर्णय लिये जाने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 13 ( ) आर.एम.आर.एस/दुकाने/समाधि/2014–15/205 दिनांक 28.05.2014 एवं 245 दिनांक 04.07.2014 के द्वारा समिति का गठन किया गया। समिति की अनुशंषा के आधार पर एवं उपरोक्त परिस्थितियों तथा नीतिगत परिवर्तन (मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रारंभ होना, जो पुर्वानुमानित नहीं था) के परिप्रेक्ष्य मे मैसर्स गायत्री मेडिकोज जयपुर द्वारा अनुबंध अवधि से पूर्व (ड्रग लाइसेन्स निरस्तीकरण दिनांक 30.04.2012 को) ही दुकान संचालन को बंद कर उसका कब्जा संभलवाने को स्वीकार किया गया। यद्यपि दिनांक 28.02.2014 को निष्पादित दुकान की चार्ज रिपोर्ट में सुरक्षा गार्डो के हवाले से यह अंकित है कि दिनांक 01.03.2012 के बाद उक्त दुकान में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं हुई, किन्तु औषधि अनुज्ञापक अधिकारी एवं सहायक औषधि नियत्रंक जयपुर के आदेश क्र.डी.एल.ए/निरस्त/2012/1590 दिनांक 27.08.2012 के द्वारा उक्त दुकान संचालन बन्द (For Closure) ड्रग लाईसेन्स दिनांक 30.04.2012 से निरस्त किया गया, अतः दुकान का 30.04.2012 को बन्द होना माना गया।

12-11-2018

		मैसर्स गायत्री मेडिकोज जयपुर द्वारा दिनांक 25.04.2012 तक की लीज राशि पूर्व में ही अग्रिम रूप से जमा करा दी गई थी जिसमें किसी भी प्रकार की छूट देय नहीं है, अतः उपरोक्त दिनांक 30.04.2012 तक कुल 5 दिवस की लीज राशि जमा करवाये जाने हेतु संबंधित फर्म को आदेशित किया गया। उपरोक्त निर्णयानुसार संबंधित फर्म मैसर्स गायत्री मेडिकोज जयपुर को बकाया राशि जमा कराये जाने एवं आदेश की पालना हेतु निर्देश दिये गये। चरक भवन स्थित दुकान संख्या 01 व 02 के लीज राशि में छूट के संबंध में आदेशों की स्वीकृति सक्षम स्तर पर अध्यक्ष राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर एवं प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर से दिनांक 22.10.2014 को प्राप्त कर ली गई थी। चरक भवन स्थित दुकान संख्या 01 एवं 02 की मेडिकल शॉप को लीज अवधि सात वर्ष से पूर्व समर्पित करने एवं छूट अनुसार राशि जमा कराने का अनुमोदन आर.एम.आर.एस की अधिशासी समिति की दिनांक 22.05.2015 की बैठक में प्राप्त कर लिया गया । चरक भवन स्थित दुकान संख्या 01 एवं 02 का पुनः आवंटन अनुबंधानुसार दिनांक 05.12.2014 को क्रमशः राशि रूपये 36.50 लाख एवं 33.55 लाख पर किया गया है।

चिकित्सा अधीक्षक
सवाई मानसिंह चिकित्सालय
जयपुर

12-11-2018